न्यायालय, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, हिलसा (नालन्दा)

जमानत आवेदन सं–1141 / 22

रंजीत यादव उर्फ रंजीत कुमार . . . . . आवेदक
वनाम
बिहार राज्य . . . . . विपक्षी
आवेदक की ओर से –डा0 राजूरंजन प्रसाद, विद्वान अधिवक्ता
विपक्षी की ओर से – श्री राजाराम सिंह, विद्वान प्रभारी अपर लोक अभियोजक

16.01.2023 दिनांक 06.12.2022 से कारावासित अभियुक्त रंजीत यादव उर्फ रंजीत कुमार की ओर से दाखिल नियमित जमानत आवेदन को उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा संचालित किया गया, जो इसलामपुर थाना काण्ड सं–286 / 21 अन्तर्गत धारा–341,323, 504,447,307,435,379 / 34 भा0द0वि0 से संबंधित है।

विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थी निर्दोष है, जिसे पलटा मुकदमा इसलामपुर थाना काण्ड सं–300 / 21 से बचने के लिए इस केस में झूठा फंसाया गया है। आवेदक के भाई अजय यादव को बी0पी0नं–42 / 22 से जमानत दिया गया है और आवेदक का भी मामला उसी के समान है। दोनों पक्ष गोतिया है, जिनके बीच जमीन का विवाद है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक दिनांक 06.12.2022 से न्यायिक अभिरक्षा में है। अतः आवेदक को जमानत पर मुक्त किया जाय।

विद्वान प्रभारी अपर लोक अभियोजक द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

सूचिका सुमन्ती देवी द्वारा थाना में दिये गये आवेदन अनुसार दिनांक 03.06.2021 की रात्रि करीब 11.30 बजे आवेदक सहित अन्य अभियुक्तगण लोहे के रॉड लेकर सूचिका के घर में घुसकर गाली–गलौज करने लगे। अभियुक्त रंजीत यादव, अजय यादव एवं शत्रुघ्न यादव सूचिका की पतोहू रिंकी देवी को मारपीट करने लगा तथा रंजीत यादव एवं इन्दर यादव जान मारने की नियत से विकाश कुमार को रॉड से मारा एवं मिशराज कुमार और बिरेन्द्र यादव रॉड से अमरेश यादव को मारा। मारपीट से सूचिका के पति संतोष यादव एवं विकाश यादव का सिर फट गया। सभी लोग सूचिका के झोपड़ी में आग लगा दिया, जिसमें तीस मन भुसा सहित गेहूँ बीस हजार रूपये का जल गया। मारपीट के क्रम में सूचिका के पतोहू का सोने का कर्णवाली आठ आना भर कीमत करीब 22000रू0 का छीन लिया तथा शत्रुधन यादव सूचिका का ब्लाउज फाड़ दिया, जिससे वह अर्द्धनग्न हो गई। घटना का कारण है कि अभियुक्तगण सूचिका के पति को भगत होने के कारण भुत लगा देने की बात कहते हैं।

उभय पक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक के विरूद्ध किसी तरह का Specific आरोप नहीं है। जख्मी संतोष यादव के ललाट पर साधारण प्रकृति का जख्म पाया गया है, जिसे मारने का आरोप सह अभियुक्तों के विरूद्ध है। दोनों पक्ष गोतिया है, जिनके बीच बंटवारा का विवाद होने की बात कही गई है, जिसके लिए पलटा वाद दर्ज है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और समान आरोप में सह अभियुक्त को जमानत दिया गया है। आवेदक दिनांक 06.12.2022 से काराधीन है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं मामले के परिस्थितियों पर विचारोपरान्त आवेदक को 10000रू0 एवं समान राशि के दो प्रतिभू के साथ जमानत बन्धपत्र दाखिल किये जाने पर जमानत पर मुक्त किये जाने का आदेश दिया जाता है।

(लेखापित)

(अजीत कुमार सिंह)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश हिलसा